

प्रेषक

महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्षा

2. हरियाणा राज्य के सभी कार्यालयों में
कार्यरत लेखाधिकारी (बायनेम) ।

यादी क्रमांक टीए-हर-1टी-2017 / 9370-80

दिनांक: 29/12/17

विषय:- सरकार की हिदायते दिनांक 17.04.2017 के तहत 3 प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ देने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

विषयाधीन मामले में सरकार की हिदायते दिनांक 17.04.2017 के तहत 3 प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ पदौन्नति में **Physical Disabled person** को दिया जाना है । यदि आपके कार्यालय में कार्यरत कोई लेखाधिकारी इन हिदायतों के अर्न्तगत कवर होता है तो उसके सेवा रिकार्ड की सत्यापित प्रति/मैडीकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सहित प्रस्ताव इस विभाग को शीघ्र अति शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें । ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके ।

पृ0 क्रमांक टीए-हर-1टी-2017 /

संयुक्त निदेशक,
कृते:महानिदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
दिनांक:

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, वि0 ले0 शाखा को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

संयुक्त निदेशक,
कृते:महानिदेशक,खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।